न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 88/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामहेत पुत्र दल्लाराम मीना,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र दल्लाराम–मृतक
   2/1. तुलसा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
   2/2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
   2/3. मनोज पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. प्यारेलाल पुत्र दल्लाराम मीना
4. राधाकिशन पुत्र दल्लाराम मीना
5. जगदीश पुत्र रामचन्दर मीना,
6. हरभजन पुत्र रामचन्दर मीना,
7. सुरेश पुत्र रामजीलाल मीना
8. मुकेश पुत्र रामजीलाल मीना
9. महेश पुत्र रामजीलाल मीना,
10. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल मीना
11. रोहिताश पुत्र रामजीलाल मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम घाटडा तहसील राजगढ जिला अलवर

..... अपीलांटान

बनाम

1. तहसीलदार महोदय राजगढ बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कार्यालय राजगढ जिला अलवर

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री रामबाबू कौशिक, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
3.

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के यहां एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् इश्तकरारहक वो हुक्मईम्तनाई दवामी पेश किया जिस वाद के साथ अपीलांट वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 33 रकबा 0.46, 34 रकबा 0.83, 37 रकबा 0.04, 36/1701 रकबा 0.15, 36/1702 रकबा 0.11, 106 रकबा 0.09, 108 रकबा 0. 13, 98 रकबा 0.09, 99 रकबा 0.17, 107 रकबा 0.16, 108 रकबा 0.13, 109 रकबा 0.07, 110 रकबा 0.09 वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा अर्सा करीब 40–50 साल से लगातार चला आ रहा है और वादीगण द्वारा मेहनत कर लागत लगा कर उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया है और आज भी मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इतने समय से कब्जा काश्त होने के कारण उन्हें हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं, और अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी हैं। जिस प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत द्वारा दिनांक 01.06.2009 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की हुई थी जिस पत्रावली को कैम्प कोर्ट टोडा जयसिंहपुरा में रखा गया। तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2018 को अस्वीकार कर दिया गया। जिस आदेश दिनांक 26.06. 2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत अदालत द्वारा पारित उक्त आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांट की गैर जानकारी में पारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। तहत न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 212 का जबाव भी प्रस्तुत नही किया गया और ना ही जबावदावा प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में बिना जबाव व बिना बहस सुने व पक्षकारान को सुने बिना आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा दावा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया चूंकि प्रार्थीगण का कब्जा 40–50 साल पुराना चला आ रहा है और मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण ने रिहायश की हुई है और मकानात बना रखे हैं, ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के हक आयद व साबित है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा तथ्यों के विपरीत आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 26.06.2018 तहत अदालत निरस्त किया जावे।

जबाव बहस में पैरोकार सरकार का कथन है कि उक्त विवादित आराजी सिवायचक सरकारी भूमि है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। प्रतिबंधित सरकारी भूमि पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। तहत अदालत द्वारा कैम्प कोर्ट में विधिसम्मत सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 26.06.2018 का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अदालत तहत द्वारा विवादित आदेश "न्याय आपके द्वार" – 2018 कैम्प कोर्ट टोडा जयसिंहपुरा में दिनांक 26.06.2018 में निस्तारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जबाव अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही किया। पत्रावली के कैम्प कोर्ट में सुनवाई संबंधी कोई सूचना/तामील पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व मुख्य तीन बिंदु प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को पृथक–पृथक विस्तृत विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण आपसी सहमति/राजीनामा से किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान की सहमति नही मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कैम्प कोर्ट के लिये नियुक्त पैनल के सदस्यों के हस्ताक्षर भी निर्णय पर अंकित नही हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 26.06.2018 अपास्त किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर